

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 940 / 1053

दिनांक :- 27/07/2020

कार्यालय आदेश

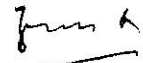
श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार शर्मा [लिंक नं. 940] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर - [841] जिनकी जन्म तिथि 18/10/1961 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/09/2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/09/2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 11/03/1985 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे । लिंक न. 940 / 1053

दिनांक :- 27/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
4. कोषाधिकारी जयपुर
5. श्री /श्रीमती / सुश्री रविन्द्र कुमार शर्मा [940] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(भवानी सिंह मीणा)

(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I))